न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/227/2017

उनवान

1. नंदराम आत्मज सुवा लाल नुवाल निवासी घोडास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. श्रीमती रामकन्या पत्नि सुवा लाल नुवाल निवासी घोडास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. किशन लाल आत्मज सुवा लाल नुवाल निवासी घोडास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. श्रीमति नर्बदा आत्मजा सुवा लाल नुवाल निवासी घोडास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. बद्री लाल आत्मज भूरा शर्मा (निमडीवाल) निवासी घोडास तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा
2. नारायण आत्मज भैरू लाल गाडरी, निवासी गाडरी मोहल्ला, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 177/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.1.2017

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री राकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओ पी पटवारी ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3.. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व , आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजी ग्राम घोडास पटवार हल्का घोडास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 400 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजी पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। आज से करीब 01 वर्ष पूर्व वादी कमा खाने के लिए बाहर राज्य चला गया और इसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी की आराजियात पर अतिक्रमण कर लिया, तथा वादी ने ओलम्बा दिया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी के साथ लडाई झगडा किया, जिस पर वादी पत्थरगढी किये जाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के यहॉ प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके प्रकरण संख्या 461/2012 है, जिसका निर्णय दिनांक 28.12.2012 को होने पर दिनांक 14.3.2013 को गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जरीब चलाकर पत्थरगढी की गई, तब वादी को जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की आराजी नम्बर 400 में करीब 06 बिस्वा भूमि पर एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने 01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर रखा है तथा मौके पर मौका पर्चा बनाया गया एवं पटवारी हल्का द्वारा वादी को यह हिदायत दी गई कि नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करवाकर कब्जा प्राप्त करे । अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आशय की कब्जायाबी की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम घोडास पटवार हल्का घोडास, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 400 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया कब्जा 06 बिस्वा से एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया गया कब्जा 01 बिस्वा हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलाया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई ।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की अपीलार्थीगण को प्रोपर तामील नहीं हई थी। जिससे अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो पाई। अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.7.2017 को पटवारी हल्का ने मौके पर आकर दी तब अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता के मार्फत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । दिनांक 28.7.2017 को नकलें प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण के सम्मन की कोई तामील नहीं हुई थी। अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया । न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलार्थीगण पर सम्मन जारी होने व तामील होने बाबत कोई उल्लेख नहीं है। अपीलार्थीगण पर कोई विधिवत तामील हुए बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.1.2017 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया , जो विधिविरूद्ध है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पक्ष को सुनवाई एवं प्रतिवादी करने का पर्याप्त व समुचित अवसर दिलाया जाना आवश्यक है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विधि की मंशा को समझे बिना ही अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर एकपक्षीय साक्ष्य लेकर बहस सुनकर प्रकरण निस्तारित कर दिया , जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.1.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 24.1.2017 को प्रत्यर्थी/वादी की एकतरफा साक्ष्य हेतु पेशी नियत थी, उसी तारीख पेशी पर साक्ष्य लेकर उसी दिन बहस सुन ली गई एवं दिनांक 27.1.2017 को अपीलाधीन निर्णय भी पारित कर दिया जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने सत्यता तक पहूँचने का समुचित प्रयास किये बिना ही जल्दबाजी में उक्त विधिविरूद्ध निर्णय पारित कर दिया, जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी ने प्रदर्श 2 मौका पर्चा प्रस्तुत किया , जिसको आधार मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानने में भूल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कारित की है । उक्त पर्चा मौका प्रत्यर्थी/वादी से मिलकर पटवारी हल्का द्वारा मनमकसूद तरीके से तैयार किया गया है। अपीलार्थीगण का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है। अपीलार्थीगण उनके नाम पर जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुसार ही काबिज है। पटवारी हल्का द्वारा मुश्तकिल सीमा चिन्ह से वादग्रस्त भूमि का सही जरीब चलाकर नपती नहीं की गई एवं अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में प्रत्यर्थी/वादी को अनुगृहित करने के दुराशय से मनमकसूद तरीके से पर्चा मौका तैयार किया गया । अधिनस्थ न्यायालय को वास्तविकता तक पहूँचने के लिए उभयपक्षों की भूमि की मुश्तकिल सीमा चिन्ह से नपती करवा रिपोर्ट तलब की जानी चाहिये थी, ताकि सच्चाई न्यायालय के समक्ष आ जाती, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय विचार रख उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अस्पष्ट एवं मोगम होने से अपास्त होने योग्य है। अतः' अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर प्रकरण मे अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जाये। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में आर आर डी 14.4.2018 पेज 228 की ओर ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलार्थीया स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यह भी निवेदन है कि पत्थरगढी की पर्चा मौका में प्रत्यर्थी की खातेदारी की आराजी नम्बर 400 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 06 बिस्वा पर कब्जा पाया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 01 बिस्वा पर कब्जा पाया गया । जिस पर प्रत्यर्थी संख्या1/वादी ने अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया । अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं सतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलाथीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई थी। जिससे अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिल पाया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सम्मन/नोटिस का अवलोकन किया गया । श्रीमति नर्बदा पुत्री सुवा लाल को जारी नोटिस श्रीमती नर्बदा का वहॉ नहीं होने का अंकन कर तथा नर्बदा के भाई द्वारा किये गये कथन के क्रम में नोटिस अदम तामील अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया हैं। इस नोटिस के उपरान्त कोई नोटिस/सूचना दिया जाना पत्रावली पर नहीं है, अतः अपीलाण्ट संख्या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4/प्रतिवादी संख्या 1/4 की प्रोपर तामील नहीं पाई जाती है। अपीलाण्ट संख्या 3/प्रतिवादी संख्या 1/3 किशन लाल को जारी नोटिस की पुश्त पर अंकित किया गया कि प्रार्थी की मॉ ने बताया कि अभी यहॉ नही बाहर गया है अतः अदम तामील पेश है। परन्तु तामील स्वरूप माता रामकन्या के हस्ताक्षर नहीं लिये गये । अपीलाण्ट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1/1 नंदराम को जारी नोटिस की पुश्त पर नंदराम द्वारा नोटिस लेने से इंकार किये जाने का अंकन किया गया। परन्तु तामील लेने से मना किये जाने की पुष्टि स्वरूप दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं लिये गये , तथा अदम तामील ही नोटिस वापिस भेजे गये। जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। रामकन्या को जारी नोटिस की पुश्त पर उसके द्वारा नोटिस लिये जाने से इंकार किये जाने का अंकन कर नोटिस को अदम तामील अधिनस्थ न्यायालय में भेजा गया। परन्तु तामील लेने से मना करने की फलस्वरूप दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं लिये गये , तथा अदम तामील ही नोटिस वापिस भेजे गये । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की अपीलार्थीगण पर प्रोपर रूप से तामील नहीं हो पाई है। अपीलार्थीगण नन्दराम, रामकन्या, किशन लाल एवं श्रीमति नर्बदा के नोटिस अदम तामील अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है । अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हो पाई जिससे अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता द्वारा न्यायिक उद्धरण आर आर डी 14.4.2018 पेज 228 प्रस्तुत किया गया जिसमें यह अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि वाद का निर्णय एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया है। पटवारी न्यायालय में बतौर साक्षी उपस्थित नहीं हुआ है। विपक्षी को साक्षी की प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं मिला। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का ससम्मान अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के आदेश कमांक 461/12 दिनांक 28.12.2012 के कम में पत्थरगढी की जाकर पत्थरगढी आदेश के अनुकम में अपीलाधीन वाद प्रस्तुत किया गया है न कि पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर। अतः मेरे विनम्र अभिमत में प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण हूबहू चस्पा नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से मुख्यतःप्रतिवादीगण की प्रोपर तामील नहीं होना परिलक्षित होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को प्रोपर नोटिस की तामील नहीं होने के बावजूद उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । जबकि अपीलार्थीगण /प्रतिवादीगण की तामीली की सुनिश्चितता किया जाकर ही विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण निर्णित करना था। अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्टगण /प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की प्रोपर तामील के अभाव में निर्णित हुआ है,जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

12. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.1.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 7-11-19 को उपस्थित रहें।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. निर्णय आज दिनांक 27.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

27/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा